SALE NOTICE
M/s GWALIOR POLYPIPES LIMITED (IN LIQUIDATION)
CIN: U28939MP1982PLC002072
Registered Office: Polypipe Estate, Malanpur Industrial Area, Malanpur, Bhind, Madhya Pradesh, 477001

AUCTION SALE NOTICE UNDER INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016

Notice is hereby given to the public in general under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the regulations made thereunder that the assets of M/s Gwalior Polypipes Limited (in Liquidation) ("**Corporate Debtor**") are being proposed to sale the assets of the corporate debtor in parcels as per Regulation 32(d) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, on **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS"** through e- Baanknet auction platform. The said proposition for disposition is without any kind of warranties and indemnities.

The bidding of the assets stated in the below table shall take place through the online e-auction service provider, Baanknet auction platform via the website https://baanknet.com/ Email: BankNet@occ.treas.gov.

	ASSETS			
	Sale of the assets of the Corporate Debtor in parcels, in accordance with Regulation 32(d) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016, comprising of two lots the following assets:			
	Description Of Assets	**Reserve Price**	**EMD (INR)**	**Incremental Amount**
	Sale of the Corporate Debtor's assets in parcels, pursuant to Regulation 32(d) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016, comprising the following assets:			
LOT	**MALANPUR UNIT (POLYPIPES ESTAT MALANPUR, INDUSTRIAL AREA, MALANPUR, BHIND, Madhya Pradesh, India, 477001)**			
LOT A	**Land & Building**	Reserve Price (in Rs.)	EMD (in Rs.)	Incremental Price (in Rs.)
	a)Factory land at Malanpur Bhind – for lease hold area of 1.25 hectare is equal to 1,34,548.90 sq.ft., Building and Misc	1,76,58,000	17,65,800	5,00,000
	b) Factory land at Malanpur Bhind – for free hold area 2.853hectare is equal to 2,99,990.2 sq.ft.,	5,87,25,000	58,72,500	
	Plant & Machinery			
	a) Plant & Machinery at Malanpur Unit	2,34,490	23,449	

LOT B	**KOTA UNIT PLOT NO. A-170/171 INDRAPRASTH INDUSTRIAL AREA, ROAD NO. 7, KOTA RAJASTHAN - 324005**			
	Land & Building			
	a) Factory land and building at Kota – area 21076 sq. mt.	17,41,50,000	1,74,15,000	5,00,000
	Plant & Machinery			
	a) Plant & Machinery at Kota Unit	20,90,804	2,09,080	
	Securities and Financial Assets			
	a) SFA Assets excluding cash and cash equivalents for Kota Unit (Comprises of Trade Receivables and Inventory)	8,94,657	89,466	

Timeline of Auction:

Submission of Bid Forms , KYC Declaration and Declaration Forms as per the Terms and Conditions of the e-Auction"	From 28.07.2025 to 11.08.2025
Declaring the Qualified Prospective Bidder by the Liquidator	14.08.2025
Site visit / Inspection Date (one day prior intimation through mail)	12.08.2025 to 19.08.2025 (12:00 PM to 5:00 PM)
Last Date for Submission of EMD	On or before 25.08.2025
Date and Time of Auction	29.08.2025 (1:00 PM till 5:00 PM)

IMPORTANT NOTES:

1) Interested applicants may refer to the complete E-Auction Process Information Document containing details with respect to the e-auction Bid Application Form, Declaration and Undertakings, terms & Conditions with respect to the sale of Corporate Debtor as a going concern.

2) The detailed documents as required to participate in the e-auction along with all the applicable terms and conditions can be obtained by the prospective bidders by writing an email at liq.gwaliorpolypipes@gmail.com. The Liquidator reserves the right to accept or reject or cancel any bid or extend or modify, any terms of the E-Auction at any time without assigning any reason. The intending bidders, prior to submitting their bid, should make their independent inquiries during the site visit (at their own cost) regarding the title of the assets, and maintenance charges, if any, and inspect the assets at their own expense and satisfy themselves.

3) This Sale Notice is in accordance with Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and IBBI Liquidation Regulations. The inclusions and exclusions of assets forming part of the Block shall be dealt in the E-auction Document for Sale of Corporate Debtor as a Going Concern as per IBBI (Liquidation Process) Regulations 2016.

4) The declaration of the H1 Bidder as the Successful Bidder shall be subject to 29A verification. Therefore, the bidders are requested to mandatorily refer the e-auction document for sale of corporate debtor as Sale of Asset in Parcel as per IBBI Liquidation Regulation 32 (d).

5) The Application before the NCLT Indore bench for seeking approval of the sale of assets of the corporate debtor shall be filed post full and complete payment of sale proceeds in the Liquidation Account by the Successful Bidder (subject to 29A verification).

6) That at any point in time, the Successful bidder of the e-auction shall make no right or have any claim whatsoever on any assets sold in earlier auctions or such assets which are excluded by the Liquidator as per the list given in e-auction document, the Liquidator shall continue to hold full right or claim on those assets, and any liquidation proceeds received from sale of those assets.

Thanks & Regards

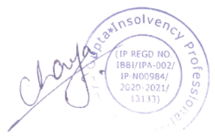

Chaya Gupta
Liquidator
Gwalior PolypipesLimited
AFA Valid till: 30.06.2026
IP Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-N00984/2020-2021/13133
Regd. email Id: guptachayacs@gmail.com
Case specific Email: liq.gwaliorpolypipes@gmail.com
Date: 28.07.2025
Place: Indore

CORRIGENDUM TO AUCTION SALE NOTICE
Auction Sale Notice Dated: 28.07.2025
Under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
In the matter of M/s Gwalior Polypipes Limited (in Liquidation)
CIN: U28939MP1982PLC002072

Subject: Corrigendum Regarding Revision of Timeline and Substitution of Condition in Important Note: 2 of Auction Sale Notice Dated 28.07.2025

This Corrigendum is issued with reference to the Auction Sale Notice dated **28.07.2025**, published pursuant to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, for the sale of assets of **M/s Gwalior Polypipes Limited (in Liquidation)**.

The sale is being conducted on an **"AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER THERE IS", and "WITHOUT RECOURSE"** basis through the e-auction platform https://baanknet.com/, under Regulation 32(d) of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016.

This Corrigendum is being published solely to:

1. **Revise the timeline** specified in the original Auction Sale Notice dated 28.07.2025; and

   Revised Timeline:

Issuance of Auction Notice	28.07.2025
Site visit / Inspection Date	12.08.2025 to 19.08.2025 (12:00 PM to 5:00 PM)
Last Date for Submission of Earnest Money Deposit (EMD) and Bid Form, 29A Eligibility Undertaking and KYC Documents by prospective Bidder.	On or before 27.08.2025
Date and Time of Auction	29.08.2025 (1:00 PM till 5:00 PM)

2. Substitution of Condition under Important Note: 2:

The condition mentioned under Important Note: 2 of the Auction Sale Notice dated 28.07.2025 is hereby substituted and shall be read as follows:

The complete e-auction process document, including details of the assets, online e-auction bid form, declaration and undertaking form, and general terms and conditions of the online auction sale, is available on the website https://ibbi.baanknet.com/. Prospective bidders are required to deposit the EMD through their own e-wallet account on the same portal Upon successful conclusion of the auction, the EMD of the highest bidder shall be transferred to the account of Gwalior Polypipes in Liquidation, Axis Bank, Indore, Account No.: 924020069628749, IFSC Code: UTIB0000568. Interested applicants are required to submit the requisite documents on https://ibbi.baanknet.com/ by logging into the portal as buyer, and also required to submit the eligibility document in the same portal.

All other terms and conditions stated in the Auction Sale Notice dated 28.07.2025 shall remain unchanged and in full force.

Thanks & Regards

Chaya Gupta

Liquidator

Gwalior Polypipes Limited

IP Registration Number: IBBI/IPA-002/IP-N00984/2020-2021/13133

AFA Valid till: 30.06.2026

Regd. email Id: guptachayacs@gmail.com

Case specific Email: liq.gwaliorpolypipes@gmail.com

Date: 29.07.2025

Place: Indore

देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए स्कैन करें और महानगर टाइम्स को लाइक व सब्सक्राइब करें।

प्रदेश में सामान्य से 88% अधिक बारिश

- कर्मभूमि से मातृभूमि और वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के नजर आने लगे सार्थक परिणाम : भजनलाल शर्मा
- मानसून में लबालब हुए प्रदेश के 226 बांध

महानगर संवाददाता

जयपुर। इस मानसून सत्र में प्रदेशभर में हो रही अच्छी वर्षा से बांध और जलाशय लबालब होकर छलकने लगे हैं। अब तक राज्य के कुल 226 बांध पूरी तरह भर गए हैं या ओवरफ्लो हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अच्छी बारिश पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली का शुभ संकेत है। इस बारिश से प्रदेश में चारों तरफ हरियाली छा गई है और खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। जल स्त्रोतों की भराव स्थिति से किसानों सहित सभी वर्गों में उत्साह है।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाए गए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान तथा वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के सार्थक परिणाम अब नजर आने लगे हैं। बारिश का अतिरिक्त पानी कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत बने रिचार्ज शाफ्ट और जल संरक्षण संरचनाओं के माध्यम से जमीन में जा रहा है और भूजल का पुनर्भरण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से अगले चार वर्षों में 45 हजार जल संरचनाएं बनाई जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार प्रदेशभर में चलाए गए वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण और संचयन के कार्यों से भी वर्षा जल संग्रहण में मदद मिल रही है। इसके तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, पौधरोपण, जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचनाओं सम्बंधित कार्य किए गए। इन प्रयासों से वर्षा जल सीधे जलाशयों में पहुंच रहा है।

मानसून के 2 माह शेष, 87.07 प्रतिशत वर्षा दर्ज

उल्लेखनीय है कि राज्य में 1 जून से 28 जुलाई तक 369.79 एमएम वर्षा दर्ज हुई है। यह इस समय अवधि में होने वाली सामान्य वर्षा 196.79 एमएम से 87.91 प्रतिशत अधिक है। राज्य में मानसून काल में सामान्य वर्षा औसतन 424.71 एमएम मानी जाती है। इस प्रकार, अब तक 87.07 प्रतिशत वर्षा दर्ज हो चुकी है, जबकि मानसून काल 30 सितम्बर तक माना जाता है। यह इस वर्ष बेहतर जल संग्रहण की स्थिति को भी दर्शाता है। प्रदेश में इस मानसून में सबसे अधिक वर्षा 1261 मिमी कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र में दर्ज हुई।

बांधों में 75.33 प्रतिशत जल संग्रहित

राज्य के जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कुल 693 बांधों की पूर्ण भराव क्षमता 13026.511 एमक्यूएम है। इसमें से वर्तमान में 9813.162 एमक्यूएम जल संग्रहित है। यह कुल पूर्ण भराव क्षमता का 75.33 प्रतिशत है। बांधों में 15 जून से 28 जुलाई तक 4167.89 एमक्यूएम (32 प्रतिशत) जल की आवक हुई है। राज्य के 23 वृहद बांधों में कुल पूर्ण भराव क्षमता 8196.754 एमक्यूएम है, जिनमें अभी 6896.52 एमक्यूएम (84.14 प्रतिशत) जल संग्रहित है। वहीं 670 मध्यम व लघु बांधों में 4829.756 एमक्यूएम पूर्ण भराव क्षमता पर 2916.64 एमक्यूएम (60.39 प्रतिशत) जल भरा हुआ है। टोंक स्थित बीसलपुर बांध के सोमवार को 6 गेट खोले गए। यह पहली बार है, जब बांध जुलाई माह में ही ओवरफ्लो हुआ है। वहीं, कोटा स्थित नवनेरा बांध के 13 गेट खोले गए हैं। ईसरदा बांध के कैचमेंट एरिया में अच्छी वर्षा होने से जल प्रवाह शुरू हो गया है। आगामी समय में बीसलपुर से ईसरदा में जल संग्रहित किया जाएगा। साथ ही, कई बांध भी पूर्ण भराव क्षमता पर आ गए हैं।

बांधों की स्थिति

बांध	क्षमता	भराव	प्रतिशत
राणाप्रताप सागर	2905.23	2862.54	98.54
कोटा बैराज	112.06	108.98	97.25
माही बजाज सागर	2180.41	1792.49	82.21
बीसलपुर बांध	1095.84	1095.84	100
मोरेल	76.65	76.65	100
पार्वती बांध	120.88	108.84	90.04
गुढ़ा बांध	95.51	95.51	100
गलवा	48.73	48.73	100
टोरड़ी सागर	47.13	47.13	100
छापरवाड़ा	34.99	34.99	100
सरदारसमंद	88.22	88.22	100
पांचना	59.45	49.99	84.09
नवनेरा बैराज	226.65	121.23	53.49
ईसरदा बांध	91.74	4.42	4.82

वर्षाकाल में विशेष सावधानी बरतने की अपील

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वर्षाकाल में विशेष सावधानी बरतें। भारी बारिश, आकाशीय बिजली एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। साथ ही, नदी-नालों के बहाव क्षेत्रों एवं जर्जर भवनों से दूर रहें तथा जल भराव वाले मार्गों व पुलों को पार करने से बचें।

जोशी की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की बहस पूरी

अब ईडी की ओर से बहस शुरू, 31 को होगी सुनवाई

महानगर संवाददाता

जयपुर। हाईकोर्ट में जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े ईडी प्रकरण में आरोपी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका पर बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है। वहीं ईडी की ओर से बहस शुरू कर दी गई है। अदालत अब 31 जुलाई को प्रकरण की सुनवाई करेगी। जस्टिस आशुतोष कुमार की एकलपीठ ने यह आदेश महेश जोशी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। जमानत याचिका में अधिवक्ता स्नेहदीप ने अदालत को बताया कि प्रकरण में उसे फंसाया गया है। प्रकरण को लेकर एसीबी में दर्ज मूल केस में याचिकाकर्ता का नाम नहीं है। याचिकाकर्ता को एक साल पहले नोटिस दिया गया। इसके बाद बिना परिस्थिति बदले उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा ईडी याचिकाकर्ता पर 2.01 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही है, जबकि इसे लेकर ईडी के पास कोई साक्ष्य नहीं है और परिवादी यह राशि कहां से लाया, उसका भी उल्लेख नहीं है।

आवासन मंडल के संचालक मंडल की 251वीं बोर्ड बैठक

मिशन मोड में करें नवीन आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन : पृष्टी

महानगर संवाददाता

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी की अध्यक्षता में सोमवार को मंडल मुख्यालय में हाउसिंग बोर्ड के संचालक मंडल की 251वीं बोर्ड बैठक हुई।

मंडल अध्यक्ष देबाशीष पृष्टी ने कहा कि मंडल में चल रही बुधवार नीलामी, प्रीमियम संपत्तियों के ऑक्शन व विभिन्न योजनाओं के प्रति आमजन का उत्साह इसका प्रमाण है कि मंडल आज भी किफायती दरों पर आवास का सपना साकार करने के लिए आमजन की पहली पसंद है। उन्होंने अधिकारियों एवं अभियंताओं को आमजन के हितार्थ मिशन मोड में भूमि चिन्हितिकरण कर नवीन आवासीय योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा जून 2024 से जून 2025 तक लगभग 1,400 आवासीय सम्पत्तियां तथा लगभग 200 व्यावसायिक सम्पत्तियां निस्तारित की गई हैं।

नवीन मॉडल भवन विनियम-2025 लागू

बोर्ड बैठक में आवासन मण्डल में नवीन मॉडल भवन विनियम-2025 लागू किया गया, ताकि अधिक संख्या में हाईराइज बिल्डिंग का निर्माण कर वहनीय दरों पर आमजन के आवास का सपना साकार किया जा सके। बैठक में 250वीं बोर्ड बैठक के निर्णयों की पुष्टि व क्रियान्विति का अनुमोदन किया गया। साथ ही जयपुर में विकसित किए जा रहे सिटी पार्क के विकास कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा ने बैठक में किए गए निर्णयों की त्वरित क्रियान्विति के निर्देश दिए। साथ ही लम्बित कार्यों की प्रगति में तेजी लाने को कहा। बैठक में सचिव डॉ. अनिलकुमार पालीवाल, मुख्य अभियंता अमित अग्रवाल, टी.एस. मीणा, प्रतीक श्रीवास्तव, वित्तीय सलाहकार रोहिताश यादव सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

रक्तदान शिविर में किया पौधों का वितरण

जयपुर (मसं)। निश्चय संस्थान की ओर से सोमवार को ग्रास फील्ड रिसोर्ट में 5वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में 247 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संस्था के अमन अग्रवाल ने बताया कि इस अवसर पर सभी रक्तदाताओं को एक पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ अभियान के तहत पौधों का वितरण किया गया।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष-विधायक रफीक खान के बीच मंच पर हुई तकरार

भाजपा को घेरने के बजाय विधायक ने अध्यक्ष पर समय पर सूचना नहीं देने के लगाए आरोप

महानगर संवाददाता

जयपुर। बिगड़ती कानून-व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ ज्ञापन देने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बुलाई गई जयपुर शहर कमेटी की बैठक से पहले जिलाध्यक्ष आरआर तिवाड़ी और आदर्श नगर से कांग्रेस विधायक रफीक खान के बीच जोरदार तकरार हो गई। जयपुर शहर कांग्रेस के प्रभारी एवं विधायक रोहित बोहरा की मौजूदगी में हुई तकरार से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का माहौल गरमा गया। बाद में विधायक बोहरा, सांगानेर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज और पूर्व विधायक गंगादेवी ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया।

बैठक से पहले विधायक एवं मुख्य सचेतक रफीक खान ने आरोप लगाया कि जिलाध्यक्ष किसी भी कार्यक्रम की सूचना समय पर नहीं देते हैं, वे अकेले ही कार्यक्रम तय कर लेते हैं। ऐसा अब नहीं चलेगा, वे पार्टी के विधायक हैं, उन्हें जानकारी पहले देनी चाहिए। इसे लेकर जिलाध्यक्ष तिवाड़ी ने कहा कि कार्यक्रम तो जिला प्रभारी द्वारा तय किए गए थे, जो कि उन्हीं के द्वारा पहले विधायकों को सूचित किए जाते हैं। इसके अलावा हमने सभी को ग्रुप में सूचना दे दी थी। ऐसे में हर किसी को अलग-अलग सूचना देना संभव नहीं है। विधायक को फोन किए गए हैं। अगर उन्होंने उठाया नहीं तो संगठन क्या करे। बाद में स्थिति शांत होने पर प्रभारी रोहित बोहरा, जिलाध्यक्ष तिवाड़ी, रफीक खान तथा पुष्पेंद्र भारद्वाज ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार के डेढ़ साल के शासन पर सवाल उठाए। इसके बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार के कामकाज पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

गौरतलब है कि जिला शहर कांग्रेस सालभर में प्रदेश सरकार के खिलाफ करीब 50 धरने-प्रदर्शन करती है। इन कार्यक्रमों में विधायक और विधायक प्रत्याशियों की उपस्थिति नहीं के बराबर होती हैं। ना तो ये आते हैं और ना ही इनके द्वारा बनाए गए पदाधिकारी आते हैं। कार्यक्रम में भी विधायक और विधायक प्रत्याशी आते हैं तो बस भाषण दिया और रवाना हो जाते हैं।

सेना कार्मिकों और परिजनों के लिए पासपोर्ट कार्यालय का संपर्क अभियान

जयपुर (मसं)। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर ने दक्षिण-पश्चिमी कमान मुख्यालय के सहयोग से सोमवार को जयपुर छावनी क्षेत्र में भारतीय सेना के कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए संपर्क अभियान शुरू किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने हरी झंडी दिखाकर मोबाइल पासपोर्ट वैन को रवाना किया और दक्षिण-पश्चिमी कमान की ओर से अभियान के समन्वयक ब्रिगेडियर राहुल भटनागर ने जयपुर छावनी में वैन का फीता काटकर पासपोर्ट सेवाओं की शुरुआत की। ब्रिगेडियर राहुल भटनागर ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों को घर बैठे पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विपुल देव ने बताया कि अभियान का पहला चरण 28 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा। यदि कोई संस्थान विशेष भी मोबाइल पासपोर्ट वैन सेवा का लाभ उठाना चाहता है तो पासपोर्ट कार्यालय जयपुर की ईमेल rpo.jaipur@mea.gov.in पर आवेदन कर सकता है।

रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते आंशिक रद्द रहेगी रतलाम-उदयपुर

जयपुर (मसं)। रतलाम-नीमच रेलखंड में रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। इसके चलते रतलाम-उदयपुर रेलसेवा आंशिक रद्द रहेगी। रतलाम मंडल के रतलाम-नीमच रेलखंड के ढोढर-दलौदा स्टेशनों के मध्य दोहरीकरण कार्य के लिए ब्लॉक लिया जा रहा है। गाड़ी संख्या 19327 रतलाम-उदयपुर सिटी रेलसेवा 28 से 30 जुलाई तक रतलाम के स्थान पर नीमच से संचालित होगी यानी यह रेलसेवा रतलाम-नीमच के मध्य आंशिक रद्द रहेगी।

छात्रों को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरित

जयपुर (मसं)। दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की ओर से 14 से 30 जुलाई तक मानव सेवार्थ पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राजवंश सीनियर सेकंडरी स्कूल के छात्रों को निशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। ग्रुप अध्यक्ष सुशीला बड़जात्या ने बताया कि राजवंश स्कूल के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जैन होस्टल के 26 जैन छात्र को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि राजवंश स्कूल की निदेशिका सीता चौहान ने भविष्य में भी समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम के लिा स्कूल प्रांगण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में विनोद बड़जात्या, सचिव महावीर पांड्या, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार जैन, सहसचिव राजेन्द्र छाबड़ा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन सम्यक ग्रुप अध्यक्ष डॉ. इन्द्र कुमार जैन ने किया।

नाम-परिवर्तन

मैं, सुरेश कुमार सुपुत्र श्री बालकिशन वर्मा निवासी जयसिंहपुरा खोर, जयपुर ने अपना नाम बदल कर सुरेश सोनी कर लिया है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/उपा/पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2025/डी-798 दिनांकः 23.07.25

सूचना (Online. No. 227958)

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों/भूखण्डधारी ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम लीजडीड/हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्र-फल	गृ.नि.स. स./निजी खातेदारी जविप्रा/योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री प्रतीक गोयल पुत्र श्री राकेश गोयल	श्री निहाल चंद जैन पुत्र श्री राजुलाल जैन	130	163.88 वर्ग-गज	मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	सुमेर नगर विस्तार-जी	नाम हस्तानां-तरण	जारी लीज-डीड एवं रजि. हकत्याग पत्र आदि

उपायुक्त, जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय) जविप्रा, जयपुर।

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नंबरः DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/483

चूंकि प्रार्थी श्री Anoop Singh, A-449, Malviya Nagar, Jaipur राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास यजुर शिक्षा समिति A-478, Malviya Nagar, Jaipur के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी-01.10.2025
मुहर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नंबरः DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/485

चूंकि प्रार्थी श्री Abhishek Patni, 8/283, Vidyadhar Nagar, Jaipur राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास बीकन एजुकेशनल सोसाइटी 55 (4C) Jamanapuri, Muripura, Jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी-01.10.2025
मुहर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नंबरः DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/484

चूंकि प्रार्थी श्री Anoop Singh, A-449, Malviya Nagar, Jaipur राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास रेडियंट एजुकेशनल सोसाइटी A-449, Malviya Nagar, Jaipur के संबंध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी-01.10.2025
मुहर

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

कार्यालय उपायुक्त मालवीय नगर जोन, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर
(नई विधानसभा के पास लालकोठी, जयपुर)
क्रमांक : एफ( )/न.नि.ज. ग्रेटर/मा.न.जोन/2024/1296 दिनांक : 25.7.2025

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री बसन्त सिंह शेखावत पुत्र श्री कल्याण सिंह शेखावत, श्रीमती सविता कंवर पत्नी श्री बसन्त सिंह शेखावत, श्री तरूण सिंह शेखावत पुत्र श्री बसन्त सिंह शेखावत द्वारा भूखण्ड सं. सी 17 योजना महालक्ष्मी नगर सोसायटी महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर क्षेत्रफल 243.05 वर्गगज़ भूमि का नाम हस्तानान्तरण चाहा गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 25.08.2005 भूखण्ड संख्या 17 योजना महालक्ष्मी नगर सोसायटी महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर क्षेत्रफल 243.05 वर्गगज का पट्टा विलेख श्रीमती शान्ता देवी पत्नी श्री राधारमण के पक्ष में जारी किया गया। श्री चन्द्रेश बम्बईवाला पुत्र स्व. श्री राधारमण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.01.2020 के द्वारा भूखण्ड संख्या सी 17 क्षेत्रफल 243.05 वर्गगज का विक्रय श्री बसन्त सिंह शेखावत पुत्र श्री कल्याण सिंह शेखावत, श्रीमती सविता कंवर पत्नी श्री बसन्त सिंह शेखावत, श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत एवं श्री तरूण सिंह शेखावत पुत्र श्री बसन्त सिंह शेखावत को विक्रय किया गया। श्री योगेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री बसन्त सिंह शेखावत की मृत्यु दिनांक 27.01.2022 को हो चुकी है। आवेदक के द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये अन्य दस्तावेजों की छायाप्रति के आधार पर भूखण्ड सं. सी 17 योजना महालक्ष्मी नगर सोसायटी महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर का नाम हस्तानान्तरण नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा श्री बसन्त सिंह शेखावत पुत्र श्री कल्याण सिंह शेखावत, श्रीमती सविता कंवर पत्नी श्री बसन्त सिंह शेखावत, श्री तरूण सिंह शेखावत पुत्र श्री बसन्त सिंह शेखावत के पक्ष में किया जाना है। इस नाम हस्तानान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित समयावधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा विलेख की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक : जविप्रा/उपा/जोन-4/2025/डी-5722 दिनांक : 10.07.2025

सार्वजनिक सूचना/विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदकगण श्री लालचंद वर्मा, श्री राजाराम वर्मा, श्री मोहनलाल पुत्रान स्व. श्री मंगलराम के द्वारा मनोहरपुरा कच्ची बस्ती के सर्वे नं. 364 का नाम हस्तान्तरण करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में पूर्व में इस कार्यालय द्वारा मनोहरपुरा कच्ची बस्ती के सर्वे नं. 364, क्षेत्रफल 73.33 वर्गगज का नियमन एवं आवंटन पत्र क्रमांक डी-172 दिनांक 30.09.2003 के द्वारा श्री मंगलराम पुत्र श्री हरबक्स एवं श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री मंगलराम के पक्ष में जारी किया गया तथा इस कार्यालय के पट्टा क्रमांक डी-126 दिनांक 03.09.2004 के द्वारा मनोहरपुरा कच्ची बस्ती के सर्वे नं. 364 का पट्टा श्री मंगलाराम पुत्र श्री हर बक्स के पक्ष में जारी किया गया, जिसे उप पंजीयक जयपुर-प्रथम के यहां दिनांक 09.09.2024 को पंजीबद्ध करवाया गया। मंगलराम की मृत्यु दिनांक 14.10.2015 को हो चुकी है। श्री मंगलराम की मृत्यु के पश्चात उनके विधिक वारिसों में श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व. श्री मंगलराम, श्रीमती उगन्ती देवी पत्नी श्री छुट्टन लाल पुत्री स्व. श्री मंगलराम द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 20.06.2025 के द्वारा अपने 2/5 अविभाजित हिस्से का हक त्याग श्री लालचंद वर्मा, श्री राजाराम वर्मा, श्री मोहनलाल पुत्रान स्व. श्री मंगलराम को कर दिया गया। उक्त संबंध में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर आवेदकगण के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही करने के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति, हितधारी, संस्था को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना के प्रकाशित होने के 7 दिवस में प्रस्तुत कर देवें। नियत अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदकगण के के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी

उपायुक्त जोन-4, जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय उपायुक्त (झोटवाडा जोन) नगर निगम जयपुर ग्रेटर
क्रमांक-एफ-3()झो.जोन/ज.न.नि./2025/701 दिनांकः 28/07/2025

सार्वजनिक सूचना

मूल भूखण्ड संख्या 102 ए महादेव नगर, वैशाली नगर जयपुर का गुलाबबाडी गृह निर्माण समिति जयपुर द्वारा श्री केशव कुमार जाजोरिया पुत्र श्री नवल प्रभाकर एवं श्रीमती कोशल्या जाजोरिया पत्नी श्री केशव कुमार जाजोरिया जेडीए पट्टा क्रमांक 773 दिनांक 16.07.2002 क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया। श्री केशव कुमार जाजोरिया पुत्र श्री नवल प्रभाकर एवं श्रीमती कोशल्या जाजोरिया पत्नी श्री केशव कुमार जाजोरिया द्वारा रजिस्डर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 23.07.2004 को श्री राहुल आहुजा एवं श्रीमती अल्पना आहुजा को बेचान कर दिया गया। दिनांक 06.04.2009 को रजिस्डर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्रीमती आशा वाधवा पत्नी श्री गुरुदास वाधवा, श्रीमती शालु वाधवा पत्नी श्री राजन वाधवा एवं श्रीमती श्रुति वाधवा पत्नी श्री राजेश वाधवा को बेचान कर दिया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अण्डरटेंकिंग, रजिस्डर्ड विक्रय पत्र एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा श्रीमती आशा वाधवा पत्नी श्री गुरुदास वाधवा, श्रीमती शालु वाधवा पत्नी श्री राजन वाधवा एवं श्रीमती श्रुति वाधवा पत्नी श्री राजेश वाधवा के पक्ष में क्षेत्रफल 216.66 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण को जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, झोटवाडा जोन) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी।

उपायुक्त, झोटवाडा जोन, नगर निगम ग्रेटर जयपुर

सार्वजनिक विज्ञप्ति जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक- जविप्रा / उपा. जोन-9 / 2025 / डी-2620 दिनांकः- 14-07-2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती हेमलता मीना पत्नी श्री बाबूलाल मीना द्वारा भूखण्ड संख्या जी-4 क्षेत्रफल 267.66 व.ग. शिव आफिसर्स कॉलोनी जी ब्लॉक, जयपुर का नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा चाहने हेतु ऑन लाईन आवेदन पंजीयन संख्या 228487 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा निवेदन किया गया है। भूखण्ड संख्या जी-4 क्षेत्रफल 267.66 व.ग. शिव आफिसर्स कॉलोनी जी ब्लॉक, जयपुरा की लीज डीड श्री प्रभूनारायण शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा के पक्ष में लीज डीड दिनांक 03.05.2019 को जारी की गई है।तत्पश्चात श्री प्रभूनारायण शर्मा द्वारा श्री रिषभ गुप्ता पुत्र श्री चन्द्रशेखर गुप्ता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.08.2020 के द्वारा बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्री रिषभ गुप्ता द्वारा श्रीमती हेमलता मीना पत्नी श्री बाबूलाल मीना को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.01.2021 के द्वारा बेचान किया गया है इत्यादि अपलोड किये गये है। उक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में अपनी लिखित आपत्ति मय साक्ष्य इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, अन्यथा बाद मियाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

उपायुक्त जोन-09, जविप्रा, जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)

मुकदमा नम्बर 63/2025

चूंकि श्री अनिल खुराना ने पंजीकृत प्रन्याय श्री राम मंदिर प्रन्यास बर्फखाने के पास, राजापार्क, आदर्श नगर, जयपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 792 जयपुर 1983 है के सम्बन्ध में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास के प्रन्यासी श्री हरिश गन्डा द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनके स्थान पर श्री अश्विनी बैरी व जितेन्द्र चड्ढा को प्रन्यास प्रन्यासी नियुक्त कर उनके नाम प्रन्यास रिकार्ड में दर्ज अभिलेख किये जाने का निवेदन कर जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन / संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 14.07.25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी गया। आइदा तारीख पेशी 19.08.25

सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांकः जविप्रा/उपा.जोन-13/2021/डी-720 दिनांकः 16.03.2021

विज्ञप्ति

श्री शंकर लाल यादव पुत्र स्व. श्री रामशरण यादव, निवासी 3941, दीनानाथ जी की गली, पुरानी बस्ती, जयपुर द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड संख्या एच- 653 का आवंटी श्रीमती सरिता यादव के मृत्यु प्रमाण पत्र, पार्षद का सजरा प्रमाण पत्र शपथ पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण करने हेतु ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 44923 दिनांक 17.02.2021 के माध्यम से इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जविप्रा द्वारा आवेदित भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 15.05.2006 को श्रीमती सरिता यादव के नाम से जारी किया गया था। जिसका कब्जा पत्र दिनांक 13.02.2015 को आवंटी के नाम से जारी किया जा चुका है। अतः जरिये विज्ञप्ति सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शंकर लाल यादव द्वारा प्रस्तुत आवंटी के मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर जविप्रा की आवासीय योजना कल्पना नगर के भूखण्ड एच-653 का नामहस्तांतरण आवेदक के नाम जारी करने में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञपित प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अपने दस्तावेजों सहित आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा श्री शंकर लाल यादव पुत्र स्व. श्री रामशरण यादव, निवासी-3941, दीना नाथ जी की गली, पुरानी बस्ती, जयपुर के नाम नामहस्तांतरण की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी। मियाद पश्चात् आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उपायुक्त जोन-13, जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांकः जविप्रा/उपा/पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2025/डी-799 दिनांकः 23.07.25

सूचना (Online. No. 232782)

पृथ्वीराज नगर में निम्न योजनाओं के निम्न भूखण्डधारियों/भूखण्डधारी ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय), जविप्रा, जयपुर में आवेदन प्रस्तुत किया है। जो नाम लीजडीड/हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखंड संख्या	भूखंड का क्षेत्र-फल	गृ.नि.स. स./निजी खातेदारी जविप्रा/योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह	श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवा सिंह	347	452.80 वर्ग-गज	इनकम टेक्स(एन.जी.) हाउ-स बिल्डिंग को-ऑपरेटिव सोसा-यटी लि.	आयकर नगर-द्वितीय	नाम हस्तानां-तरण	जारी लीज-डीड मृत्यु प्रमाण पत्र एवं रजिस्टर्ड वसीय-नामा आदि

उपायुक्त, जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय) जविप्रा, जयपुर।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा आमंत्रण सूचना

मंडल रेल प्रबंधक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए एंव उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है- **ई-निविदा सूचना सं. 2025-26:** 85 of 2025-26, **कार्य का नाम व स्थान:** Construction of RUB/LHS in lieu of LC No.C-264, C-274, C-307, 319, 331A on SMR-MBF section under ADEN/BME of Jodhpur Division, **अनुमानित लागत रुपये:** 168506021.44, **बयाने की राशि रुपये:** 992500.00, **ई-निविदा सूचना सं. 2025-26:** 86 of 2025-26, **कार्य का नाम व स्थान:** Various activities in C/W Through Ballast Recoupment (TBR) 129.15 Km. & other Miscellaneous maintenance work in the section of ADEN/Barmer of Jodhpur Division, **अनुमानित लागत रुपये:** 127373866.86, **बयाने की राशि रुपये:** 786900.00, निविदा सूचना संख्या 85 of 2025-26 एंव 86 of 2025-26 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 18.08.2025 को 15.00 बजे तक है वेबसाइट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है- www.ireps.gov.in 928-PS/25

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

सिंगुलैरिटी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U62020RJ2023PTC089260
पंजीकृत पता: 409, एशिया अपार्टमेंट, सिद्धार्थ नगर, एच ब्लॉक, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, भारत-302017
ईमेल : singularitycorp007@gmail.com

प्रपत्र संख्या: आईएनसी-26
[कंपनी (इनकॉरपोरेशन) रुल्स, 2014 के रुल 30 के अनुसार।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति
केंद्र सरकार के समक्ष उत्तर पश्चिमी क्षेत्र
कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनियों (स्थापना) नियम, 2014 के नियम 30 की उप-नियम (5) के खंड (a) के अंतर्गत
एवं
सिंगुलैरिटी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में, जिसका पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित पते पर स्थित है: **409, एसीशिया अपार्टमेंट, सिद्धार्थ नगर एच ब्लॉक, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, 302017**
... पेटीशनर

नोटिस

इस माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी ने केंद्र सरकार को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत आवेदन करने का प्रस्ताव किया है, ताकि दिनांक सोमवार, 21 जुलाई 2025 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के स्मृति पत्र (Memorandum of Association) में परिवर्तन की पुष्टि प्राप्त की जा सके, जिससे कि कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राजस्थान राज्य" से बदलकर "कर्नाटक राज्य" स्थानांतरित किया जा सके।
कोई भी व्यक्ति, जिसकी रुचि इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सकती है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह (14) दिनों के भीतर अपने आपत्तियों को अभ्यपुष्टि (affidavit) के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। आपत्ति MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर या पंजीकृत डाक द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जा सकती है: क्षेत्रीय निदेशक, ROC भवन, रुपल पार्क सोसायटी के सामने, अंकुर बस स्टॉप के पीछे, नारणपुरा, अहमदाबाद 380013, गुजरात। एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजी जानी चाहिए:
409, एसीशिया अपार्टमेंट, सिद्धार्थ नगर एच ब्लॉक, जगतपुरा, जयपुर, राजस्थान, इंडिया, 302017

सिंगुलैरिटी कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
Sd/-
ध्रुव मेहरा
डायरेक्टर
डीआईएन: 10269334

तारीख: 28 जुलाई, 2025
स्थान: जयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत बेगस, पंचायत समिति झोटवाडा जयपुर
क्रमांक : ग्रा.पं.बेगस/निर्माण/निविदा/2025-26/111 दिनांक : 28.07.2025

ई-निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के पत्रांक 110 दिनांक 24.07.2025 द्वारा ग्राम पंचायत बेगस के समस्त गावों में घर-घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013 के नियम 16 के तहत एवं राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियमों 181 के तहत सक्षम रजिस्ट्रेशन संवेदकों से खुली निविदा के माध्यम से (डिफेक्ट लाइबिलिटि पिरीयड दो वर्ष) मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। जिनके NIB code PFG2526A0021and UBN is: PFG2526WSRC00065 निविदा सूचना की शर्तें वेब पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in है।

प्रशासक
ग्राम पंचायत बेगस
पं.स. झोटवाडा, जयपुर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत बेगस
पं.स. झोटवाडा, जयपुर

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
निविदा सूचना (BN-9057002502/2025-26)

इच्छुक बोलीकर्ताओं से निविदा सं: 9057002502/2025-26 (UBNNo.VPN2526GSOB01252) कार्यालय अधीक्षण अभियंता (मा.स.वि.एवं प्रशिक्षण (मे प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण सामग्री (स्टेशनरी) के उपापन हेतु दिनांक 08.08.2025 के 14:00 बजे तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की विस्तृत जानकारी / निविदा की तारीख बढाने की सूचना के दस्तावेज़ / विवरण आदि **(http://sppp.rajasthan.gov.in)** of the state; and RVPN departmental website: **http://energy.rajasthan.gov.in/rrvpn** वेबसाइट पर देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता
मा.स.वि.एवं प्रशिक्षण, जयपुर

राज.संवाद/सी/25/6964 रा.रा.वि.प्र.नि./TR-7024/2025

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
कार्यालय मत्स्यनगर आगार अलवर

निविदा - सूचना

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम केन्द्रीय बस स्टैण्ड मत्स्यनगर अलवर पर केन्टीन स्टाल लाइसेंस पर लेने हेतु निविदा आंमत्रित की जानी है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित राशि रूपये 200/—नकद जमा करवा कर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय समय में प्राप्त कर सकते है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था अपने प्रस्ताव 14.08.2025 को 15.00 तक जमा करा सकते है। निविदा प्रस्ताव उसी दिन 15.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोलें जावेंगे। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण निगम वेबसाईट **http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc** एवं SPPP पोर्टल **https://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखी जासकती है।

निविदा स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।

UBN No. : RTC2526SLOB00311

राज.संवाद/सी/25/7029 विज्ञापन संख्या 155/2025-26 मुख्य प्रबन्धक

नीलामी बिक्री सूचना हेतु शुद्धिपत्र
नीलामी बिक्री सूचना दिनांकः 28.07.2025
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत
मेसर्स ग्वालियर पॉलीपाइप्स लिमिटेड (परिसमापन में) के मामले में
CIN: U28939MP1982PLC002072

विषयः दिनांक 28.07.2025 की नीलामी बिक्री सूचना के महत्वपूर्ण नोटः 2 में समय-सीमा में संशोधन और शर्त प्रतिस्थापन के संबंध में शुद्धिपत्र

यह शुद्धिपत्र, मेसर्स ग्वालियर पॉलीपाइप्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन) की परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित दिनांक 28.07.2025 की नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में जारी किया गया है।

यह बिक्री आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(डी) के अंतर्गत ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://baanknet.com/ के माध्यम से "जैसा है जहाँ है", "जैसा है वैसा है", "जो कुछ भी है" और "बिना किसी सहारे के" के आधार पर की जा रही है।

यह शुद्धिपत्र केवल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए प्रकाशित किया जा रहा है:

1. दिनांक 28.07.2025 की मूल नीलामी बिक्री सूचना में निर्दिष्ट समय-सीमा को संशोधित करना, और

संशोधित समय-सीमाः

नीलामी सूचना जारी करना	28.07.2025
कार्यस्थल भ्रमण / निरीक्षण तिथि	12.08.2025 से 19.08.2025 (दोपहर 12:00 बजे से अपॉ. 05:00 बजे तक)
संभावित बोलीदाता द्वारा बयाना राशि (ईएमडी) और बोली प्रपत्र, 29ए पात्रता वचनपत्र और केवाईसी दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि।	27.08.2025 तक या उससे पहले
नीलामी की तिथि और समय	29.08.2025 (दोपहर 1:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक)

2. महत्वपूर्ण नोटः 2 के अंतर्गत शर्त का प्रतिस्थापनः

दिनांक 28.07.2025 की नीलामी बिक्री सूचना के महत्वपूर्ण नोटः 2 के अंतर्गत उल्लिखित शर्त को इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाएगाः

संपत्तियों का विवरण, ऑनलाइन ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा और वचन पत्र, तथा ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम व शर्तों सहित संपूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज वेबसाइट https://ibbi.baanknet.com/. पर उपलब्ध है। संभावित बोलीदाताओं को नीलामी के सफल समापन पर उसी पोर्टल पर अपने ई-वॉलेट खाते के माध्यम से ईएमडी जमा करना आवश्यक है। उच्चतम बोली लगाने वाले की ईएमडी ग्वालियर पॉलीपाइप्स इन लिक्विडेशन, एक्सिस बैंक, इंदौर, खाता संख्याः 924020069628749, आईएफएससी कोडः UTIB0000568 के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। इच्छुक आवेदकों को https://ibbi.baanknet.com/ पर खरीदार के रूप में पोर्टल पर लॉग इन करके आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, और उसी पोर्टल पर पात्रता दस्तावेज भी जमा करने होंगे।

दिनांक 28.07.2025 की नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित और पूर्णतः लागू रहेंगी।

धन्यवाद एवं सादर

छाया गुप्ता
लिक्विडेटर
ग्वालियर पॉलीपाइप्स लिमिटेड
आईपी पंजीकरण संख्याः IBBI/IPA-002/IP-N00984/2020-2021/13133
एएफए मान्यः 30.06.2026 तक
पंजीकृत ईमेल आईडीः guptachayacs@gmail.com
मामले के लिए विशिष्ट ईमेलः liq.gwaliorpolypipes@gmail.com

दिनांकः 29.07.2025
स्थानः इंदौर